मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल–462003

क्रमांक/2697//2318/2015/50-2 भोपाल दिनांक 18/9/15

परिपत्र

विषय – बाल कल्याण समिति द्वारा संपादित की जाने वाली कार्यवाही हेतु निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति होगी। बाल कल्याण समिति एक पीठ के रूप में कार्य करेगी जिसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शाक्तियॉ प्राप्त होगी। समिति के अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इन्हे प्रति बैठक के मान से रूपये 1000/– मानदेय होगा।

1/ **बाल कल्याण समिति की शक्तियॉ :–**

- अपने क्षेत्रों में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सम्बंध में अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से अधिकारिता।
- बालकों की संरक्षा, उपचार, विकास, पुनर्वास, मूलभूत आवश्यकता एवं मानव अधिकार की संरक्षा के सम्बंध में समिति को अंतिम शक्ति ।
- समिति को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियॉ होगी।

2/ **समिति के कार्य – प्रक्रिया :–**

- सप्ताह में कम से कम दो पूर्ण दिवस बैठक करना।
- बैठक हेतु अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
- समिति की बैठक के अभाव में एकल सदस्य के समक्ष अभिरक्षण हेतु प्रस्तुति की जा सकती है।
- पुलिस अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, कोई लोक सेवक, पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी नागरिक अथवा स्वयं बालक समिति के समक्ष संरक्षण की मांग कर सकता हैं।
- बच्चों के स्थायी एवं अस्थायी संरक्षण हेतु आदेश पारित करना।
- बाल कल्याण समिति उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त आश्रय गृहों का जहां देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक निवास करते है नियमित भ्रमण करेगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि इन गृहों में बालकों के संरक्षण हेतु किशोर न्याय अधिनियम के तहत् निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा हैं।

- समिति प्रति माह अपना निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त महिला सशक्तिकरण को प्रेषित करेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन में गृह की व्यस्थाओं के सुझाव दिये जा सकते हैं।
- समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिवासों में निवास करने वाले देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु भ्रमण करेगी।
- समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले फॉस्टर केयर के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करेगी एवं प्रतिमाह कम से कम 5 प्रतिशत प्रकरणों का भौतिक सत्यापन करेगी।
- संस्था में निवासरत बालकों को स्पॉन्सरशिप में सौपें जानै हेतु संभावनाओं को खोजेगी।
- अनाथ, अभ्यर्पित एवं बेसहारा बचों को दत्तक ग्रहण पर देने हेतु विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्रेरित करना एवं ऐसे बच्चों को विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करना।
- बालक का सर्वोत्तम हित उसके परिवार में होता है अतः यह सुनिश्चित करना कि ऐसे बालकों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवारों तक पहुचाया जाये। बालक को किसी गृह में संरक्षण हेतु भेजना अंतिम विकल्प रखा जायें।

3/ **समिति के समक्ष पेश किए जाने के पश्चात् विस्तृत जांच की प्रकिया** :– देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद प्रत्येक बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति बालक के अभिरक्षण का आदेश करेगी।

3.1 जब कोई बाल समिति के समक्ष लाया जाए, तो समिति यथास्थिति, गृह के परिवीक्षा अधिकारी, सामजिक कार्यकर्ता, केसवर्कर, बाल कल्याण अधिकारी, भारसाधक अधिकारी या किसी समुचित मान्यता प्राप्त अभिकरण को विस्तृत जांच संचालित करने के लिये मामला सौपेगी।

3.2 समिति सम्बंधित व्यक्ति/संगठन को उपयुक्त पुनर्वास के लिये जांच किए जाने वाले ब्यौरो के सम्बंध में निर्देश देगी। अधिनियम की धारा 33 के अधीन जांच के लिये निर्देश प्रारूप– 1 में होगें। समिति, देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालक के बारे में विशेष रिपोर्ट देने के लिये किसी पेशेवर व्यक्ति को निर्देश दे सकेगी।

3.3 विस्तृत जांच 4 मास के भीतर पूर्ण की जानी होगी जब तक कि विशेष परिस्थितियों में बालक के हित में ऐसा करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाए।

3.4 यदि सम्बंधित कार्मिक उचित समझे या बालक इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करे तो चिकित्सीय जांच की जा सकेगी और सहायता दी जा सकेगी। यह

सुनिश्चित करने के लिये सावधानी रखी जाएगी कि ऐसी चिकित्सीय जांच संवेदनशील रीति में की जाए।

3.5 जहां बालक के माता–पिता या संरक्षक से पहले या नियम 18 के उपनियम (6) में उल्लेखित किए गए अनुसार संपर्क न किया जा सकता हो और यदि बालक विशेष रूप से यह चाहता हो कि उनसे सम्पर्क न किया जाए तो परिवीक्षा अधिकारी बालक द्वारा स्वीकार किए गए तथा उपयुक्त समझे गए किसी अन्य योग्य व्यक्ति की पहचान के लिये मिलकर प्रयास करेगा तथा उसे, अधिनियम के अधीन सहायता चाहने की बालक की इच्छा की सूचना देगा ताकि वह जांच में उपस्थित हो सके।

3.6 समिति, विस्तृत जांच लम्बित रहने के दौरान आयु तथा लिंग का ध्यान रखते हुए बालक को सुरक्षित स्थान या समुचित सुविधाओं वाले बालगृह में भेजने की व्यवस्था करेगी। बालकों को यथासंभव ऐसे गृह में रखा जायेगा, जो उस स्थान के समीप हो, जहां का बालक हो।

3.7 समिति, माता–पिता/संरक्षक को बालक की अस्थायी अभिरक्षा से इंकार कर सकेगी, यदि निर्मुक्ति बालक के सर्वोत्तम हित के विरूद्ध पाये जाने की संभावना है। ऐसे कारण लेखबद्ध किए जायेगे और आगे की विस्तृत जांच, उचित स्थानन के लिये की जाएगी।

3.8 बालक का स्थानन किसी स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि या किसी पुलिस अधिकारी की अनुरक्षा में या समिति द्वारा समुचित समझी गई, किसी अन्य व्यवस्था द्वारा बालक को ले जाया जाएगा। पुलिस द्वारा अनुरक्षा अंतिम सहारा होगा। पदाभिहित पुलिस अधिकारियों को या उन्हें, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई से जुड़े हो, अधिमान दिया जाएगा।

3.9 जांच के पूर्ण होने के पश्चात यदि बालक को बालगृह में बने रहने का आदेश किया जाता है तो समिति गृह में बालक के विकास का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

3.10 जब भी समिति, किसी बालक को किसी संस्था में रखने का आदेश करती है, तो वह ऐसी संस्था के भारसाधक अधिकारी को प्रारूप– तीन में उसके आदेश की एक प्रति, गृह तथा माता–पिता या संरक्षक की विशिष्टयों और पूर्व अभिलेख के साथ भेजेगी।

3.11 बाल कल्याण समिति अपने प्रत्येक आदेश एवं निर्देश किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रारूपों में ही करेगी। सादा कागज अथवा लेटर हैड़ पर आदेश जारी नहीं किये जायेगें।

3.12 बाल कल्याण समिति बालक को यथास्थिति माता–पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखने का आदेश करते समय, ऐसे माता–पिता संरक्षक या योग्य

व्यक्ति को प्रतिभूओं सहित या उसके बिना, प्रारूप– चार में बंध पत्र निष्पादित करने का निर्देश देगी।

अतः समस्त बाल कल्याण समितियां उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए प्रभावी ढंग से अपना कार्य संपादित करेगीं। इस सम्बंध में याचिका क्रमांक 21260/2013 श्री कृष्णा एजूकेशन सोसायटी बैतूल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये आदेश की प्रति संलग्न है।

(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2698/2328/2015/50-2
भोपाल दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यपद्रेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक/ उपसंचालक महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला समस्त
4. अध्यक्ष, समस्त बाल कल्याण समिति, जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख सचिव 18/9/15
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश